भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2757
दिनांक 04 अगस्त, 2026 / 13 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

प्राकृतिक आपदाओं हेतु वित्तीय सहायता

2757. श्री सुरेश कुमार कश्यप:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर हिमाचल प्रदेश सहित पहाड़ी राज्यों में भारी वर्षा, बादल फटने, भूस्खलन तथा आकस्मिक बाढ़ के कारण हुई जन एवं संपत्ति की क्षति की समीक्षा की गई है और यदि हाँ, तो हिमाचल प्रदेश सहित राज्य-वार तथा जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अनुमानित आर्थिक नुकसान सहित मृतकों, लापता व्यक्तियों एवं घायलों की संख्या क्षतिग्रस्त मकानों, सड़कों, पुलों, कृषि, बागवानी तथा सार्वजनिक अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत एवं जारी की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा हिमाचल प्रदेश को प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा पहाड़ी राज्यों की लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व चेतावनी प्रणालियों, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं की निगरानी, नदी प्रबंधन तथा जलवायु-अनुकूल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु कोई विशेष कार्य योयना या नई योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में हिमाचल प्रदेश में ऐसी आपदाओं के प्रभाव को रोकने एवं कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें प्राकृतिक

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2757, दिनांक 04.08.2026

आपदाओं के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) एवं अन्य उपलब्ध साधनों से राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है और अपेक्षित लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) की संस्तुति के आधार पर राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

यह मंत्रालय देश में किसी भी आपदा के कारण होने वाली जानमाल की हानि के संबंध में केंद्रीय रूप से कोई आंकड़े नहीं रखता है। हालांकि, पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश सहित देश में विभिन्न जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रिपोर्ट किए गए नुकसान का विवरण 2023-24 से 2025-26 तक अनुलग्नक-I के अनुसार है।

पिछले तीन वर्षों (2023-24 से 2025-26) के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत आवंटित और जारी धनराशि का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-II के अनुसार है।

(घ) और (ङ): केंद्र सरकार ने वर्तमान संस्थागत एवं नीतिगत ढांचे के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सहित पर्वतीय राज्यों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा आपदा सहनशीलता (Resilience) को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अनेक पहलें की हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैं :-

i. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में भूस्खलन, बादल फटना (Cloudburst), हिमनदीय झील विस्फोट बाढ़ (Glacial Lake Outburst Floods - GLOFs), वनाग्नि तथा भूकंप जैसी उन आपदाओं को शामिल किया गया है, जिनके प्रति हिमालयी क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील है।

ii. सरकार ने राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (National Landslide Risk Mitigation Project - NLRMP) को हिमाचल प्रदेश सहित 15 राज्यों में कार्यान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना का उद्देश्य भूस्खलनों के प्रति समुदायों एवं उनकी परिसंपत्तियों की संवेदनशीलता को कम करके जनहानि तथा आर्थिक क्षति में कमी लाना है। इस परियोजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के लिए ₹125.00 करोड़ की केंद्रीय हिस्सेदारी तथा ₹14.00 करोड़ की राज्य हिस्सेदारी स्वीकृत की गई है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2757, दिनांक 04.08.2026

iii. हिमनदीय झील विस्फोट बाढ़ (GLOFs) के जोखिम से निपटने हेतु विभिन्न संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक शमन उपायों को अपनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हिमनदीय झील विस्फोट बाढ़ जोखिम शमन कार्यक्रम (National Glacial Lake Outburst Flood Risk Mitigation Programme - NGRMP) को अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एवं उत्तराखंड राज्यों के लिए अनुमोदित किया गया।

iv. वनाग्नि जोखिम प्रबंधन शमन योजना (Mitigation Scheme for Forest Fire Risk Management) को भी स्वीकृति प्रदान की है, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के लिए ₹7.34 करोड़ की केंद्रीय हिस्सेदारी तथा ₹0.82 करोड़ की राज्य हिस्सेदारी स्वीकृत की गई है।

v. पंचायती राज संस्थानों में सामुदायिक आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहलों के सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय परियोजना (National Project for Strengthening Community Based Disaster Risk Reduction Initiatives in Panchayati Raj Institutions) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के लिए ₹14.84 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, ताकि पंचायती राज शासन व्यवस्था में निम्न स्तर से उच्च स्तर (Bottom-up Approach) तक आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) की प्रक्रियाओं का समावेश किया जा सके।

vi. कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (Common Alerting Protocol - CAP) आधारित एकीकृत चेतावनी प्रणाली (SACHET) को भी परिचालित किया है, जिसके अंतर्गत भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department - IMD), केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission - CWC), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India - GSI), भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (Indian National Centre for Ocean Information Services - INCOIS), रक्षा भू-सूचना अनुसंधान प्रतिष्ठान (Defence Geo-informatics Research Establishment - DGRE) तथा भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India - FSI) द्वारा जारी चेतावनियों का एकीकरण कर भू-स्थान आधारित (Geo-targeted) प्रारंभिक चेतावनियों का प्रसार किया जाता है।

vii. इसके अतिरिक्त आपदा मित्र (Aapda Mitra) तथा युवा आपदा मित्र योजना (Yuva Aapda Mitra Scheme) जैसी पहलों के माध्यम से बहु-आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों, आपदा-रोधी अवसंरचना, सामुदायिक तैयारी एवं क्षमता निर्माण को निरंतर सुदृढ़ कर रही है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2757, दिनांक 04.08.2026
अनुलग्नक-I

पिछले तीन सालों यानी 2023-24 से 2025-26 के दौरान हाइड्रो-मेटियोरोलॉजिकल आपदाओं के कारण राज्य/UT द्वारा बताए गए नुकसान का विवरण

(अनंतिम)

क्र. सं.	राज्य	वर्ष											
		2023-24				2024-25				2025-26			
		मानवजीवनकी हानि (संख्या)	पशुधन हानि (संख्या)	क्षतिग्रस्तघर/झोपड़ियाँ (संख्या)	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	मानवजीवन कीहानि (संख्या)	पशुधन हानि (संख्या)	क्षतिग्रस्तघर/ झोपड़ियाँ (संख्या)	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	मानव जीवनकी हानि (संख्या)	पशुधन हानि (संख्या))	क्षतिग्रस्तघर /झोपड़ियाँ (संख्या)	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)
1	आंध्रप्रदेश	40	-	332	1.30	56	122	1323	0.11	756	997	3832	1.51
2	अरुणाचलप्रदेश	9	14	134	0.00	12	175	771	-	19	387	716	0.017
3	असम	65	1671	3805	0.59	128	16207	156691	1.38	38	14293	5111	0.42
4	बिहार	518	-	250	-	64	-	191	-	115	0	273	-
5	छत्तीसगढ़	114	272	2200	-	125	289	2154	-	73	0	2890	0.006
6	गोवा	8	-	290	-	4	2	696	-	2	0	325	-
7	गुजरात	236	5148	30718	1.33	230	7222	20741	-	139	0	14000	-
8	हरियाणा	47	2982	4686	2.16	1	-	16	-	6	26	2745	4.32
9	हिमाचलप्रदेश	556	21506	15792	0.76	408	7116	1089	-	195	4120	10525	0.32
10	झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0	159	0.0017
11	कर्नाटक	120	798	9897	0.30	185	1219	22414	2.86	103	1551	18725	14.81
12	केरल	84	-	2842	-	355	-	7850	-	78	0	6352	-
13	मध्यप्रदेश	201	357	2997	-	373	1204	8147	-	169	1906	6042	-
14	महाराष्ट्र	146	207	467	-	206	551	98	-	167	650	3598	75.42
15	मणिपुर	-	-	-	-	11	233	29639	0.01	8	0	20870	0.039
16	मेघालय	27	27	2594	-	43	241	4043	0.01	26	63	2825	0.065
17	मिज़ोरम	11	-	212	-	44	7	440	0.21	10	3	951	-
18	नागालैंड	13	5	2002	-	27	1	2231	0.03	9	261	2856	0.007
19	ओडिशा	4	30	3674	0.16	30	2	1941	0.22	3	40	3880	0.30
20	पंजाब	77	63649	7101	1.66	23	10	114	-	28	1481	14062	1.93
21	राजस्थान	70	1048	6854	-	131	492	1863	-	70	71	52	-
22	सिक्किम	75	1435	3098	-	13	4244	1669	-	19	10	2157	0.81
23	तमिलनाडु	160	3039	1606	0.36	120	66699	22406	2.92	72	985	1423	0.30
24	तेलंगाना	19	605	5193	0.61	29	13412	8690	-	0	0	0	-
25	त्रिपुरा	40	2	13222	-	78	15	67487	-	97	7	12415	-
26	उत्तरप्रदेश	47	358	655	-	88	33	2644	3.95	4099	0	445	2.22
27	उत्तराखंड	109	661	3137	0.09	80	524	3484	0.05	182	861	7215	0.007
28	पश्चिमबंगाल	-	-	-	-	14	-	-	1.38	0	0	0	-
29	अंडमान और निकोबार	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	11	-
30	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
31	दादराऔर नगरहवेली	5	-	270	-	-	-	-	-	1	0	1	-
32	दिल्ली	18	10	11	-	68	-	8	-	0	0	0	-
33	लद्दाख	-	-	-	-	28	73	1069	0.02	192	11828	11864	0.78
34	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
35	जम्मूऔरकश्मीर	29	-	229	-	-	-	-	-	0	0	0	-
36	पुडुचेरी	1	-	25	0.07	5	5046	73	0.05	1	5	44	0.001
	कुल	**2849**	**103824**	**124293**	**9.39**	**2979**	**125139**	**369992**	**13.11**	**6631**	**39545**	**202364**	**103.284**

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2757, दिनांक 04.08.2026

अनुलग्नक-II

पिछले तीन सालों यानी 2023-24 से 2025-26 के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत आवंटित और जारी धनराशि का राज्यवार विवरण
(करोड़ रुपये में)

क्र सं.	राज्य	केंद्र और राज्य के हिस्से सहित एसडीआरएफ के तहत आवंटन			एसडीआरएफ में केंद्र का जारी हिस्सा			एनडीआरएफ से जारी राशि (सभी आपदाओं के लिए)		
		2023-24	2024-25	2025-26	2023-24	2024-25	2025-26	2023-24	2024-25	2025-26
1.	आंध्र प्रदेश	1315.20	1380.80	1449.60	987.20	1036.00	1088.00	--	56.90	132.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	245.60	256.80	270.40	220.80	115.60	358.80	--	--	34.54
3.	असम	756.80	795.20	834.40	680.80	716.00	751.20	--	29.02	722.36
4.	बिहार	1664.80	1748.00	1836.00	1248.80	1311.20	1376.80	--	--	76.70
5.	छत्तीसगढ़	508.00	533.60	560.00	181.60	380.80	610.00	--	33.24	--
6.	गोवा	12.80	13.60	15.20	9.60	10.40	11.20	--	31.50	--
7.	गुजरात	1556.80	1635.20	1716.00	1140.00	600.00	2497.60	--	--	492.09
8.	हरियाणा	577.60	606.40	636.80	433.60	455.20	477.60	--	--	26.24
9.	हिमाचल प्रदेश	400.80	420.00	441.60	360.80	378.40	397.60	787.25	84.56	1890.09
10.	झारखण्ड	667.20	701.60	736.00	476.80	1027.20	552.00	--	--	77.69
11.	कर्नाटक	929.60	976.00	1024.80	697.60	732.00	768.80	--	3528.45	98.98
12.	केरल	369.60	388.00	408.00	277.60	291.20	306.40	--	--	162.23
13.	मध्य प्रदेश	2140.80	2248.00	2360.00	1605.60	1686.40	1770.40	--	--	208.01
14.	महाराष्ट्र	3788.80	3978.40	4176.80	2841.60	2984.00	3132.80	--	--	322.21
15.	मणिपुर	41.60	44.00	45.60	18.80	50.00	49.60	--	12.15	143.23
16.	मेघालय	64.80	67.20	71.20	27.20	59.60	60.00	--	11.98	--
17.	मिजोरम	46.40	48.00	50.40	41.60	43.20	45.60	--	18.36	14.40
18.	नागलैंड	40.80	42.40	44.80	36.80	38.40	40.00	--	181.81	183.65
19.	ओडिशा	1886.40	1980.80	2080.00	1415.20	1485.60	1560.00	--	45.09	60.16
20.	पंजाब	582.40	611.20	642.40	436.80	458.40	481.60	--	29.60	39.47
21.	राजस्थान	1742.40	1828.80	1920.00	1307.20	1372.00	1440.00	--	--	87.51
22.	सिक्किम	49.60	52.00	54.40	44.80	47.20	48.80	81.89	229.82	96.47
23.	तमिलनाडु	1200.00	1260.00	1322.40	900.00	944.80	992.00	--	360.09	534.32
24.	तेलंगाना	528.00	555.20	582.40	584.80	416.80	436.80	--	42.78	99.82
25.	त्रिपुरा	67.20	70.40	74.40	60.80	71.60	58.80	--	186.40	15.25
26.	उत्तर प्रदेश	2273.60	2388.00	2507.20	1664.80	1748.40	2776.40	--	172.95	--
27.	उत्तराखंड	918.40	964.00	1012.00	826.40	434.00	911.20	--	21.30	291.15
28.	पश्चिम बंगाल	1189.60	1248.00	1311.20	892.00	936.00	983.20	--	84.77	--
कुल		25565.60	26841.60	28184.00	19419.60	19830.40	24193.20	869.14	5160.77	5909.26
